क्रम-संख्या–242

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 8 दिसम्बर, 2022

अग्रहायण 17, 1944 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

———————

संख्या 1919 / वि0स0 / संसदीय / 159(सं)/2022

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 6 दिसम्बर, 2022 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961 की धारा 15 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (जिसे आगे ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 15 में,—

(क) उपधारा (11) में शब्द ''आधे से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''अन्यून दो-तिहाई'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 28 में,—

(क) उपधारा (11) में शब्द ''आधे से अधिक'' के स्थान पर शब्द ''अन्यून दो-तिहाई'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (13) में शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

4—(1) उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों की स्थापना करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 15 और 28 में क्रमशः क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है। उक्त धाराओं की उपधारा (11) में यह उपबंध है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव यथास्थिति क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है तो यथास्थिति प्रमुख या अध्यक्ष इस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जायेंगे। उक्त धाराओं की उपधारा (13) में यह उपबंध है कि अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस, यथास्थिति किसी प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण किये जाने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं की जायेगी। इन उपबंधों के कारण क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में सदैव अस्थायित्व की स्थिति बनी रही। क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों के स्थायित्व को सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके यह उपबंध किया जाय कि यथास्थिति धारा 15 के अधीन किसी प्रमुख के विरूद्ध या धारा 28 के अधीन किसी अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की कोई नोटिस, क्रमशः किसी प्रमुख या अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण किये जाने के दो वर्षों के भीतर प्राप्त नहीं की जायेगी और क्षेत्र पंचायत प्रमुख या जिला पंचायत अध्यक्ष तब तक अपना पद धारण करने से प्रविरत नहीं होंगे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के अन्यून दो तिहाई सदस्यों के समर्थन से न लाया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8 सन् 2022) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ

मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2022 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961

धारा 15 (11) प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक समर्थन से पारित हो,

XXX XXX XXX

(13) अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस प्रमुख के पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर ग्रहण नही किया जायेगा।

धारा 28 (11) प्रस्ताव जिला पंचायत के तत्कालीन निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक समर्थन से पारित हो,

XXX XXX XXX

(13) अविश्वास का कोई नोटिस अध्यक्ष के पद ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर ग्रहण नही किया जायेगा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 596/XC-S-1–22-26S-2022
Dated Lucknow, December 8, 2022

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of "Uttar Pradesh Kshettra Panchayat Tatha Zila Panchayat (Sansodhan) Vidheyak, 2022" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 6, 2022.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2022

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from October 4, 2022.

Amendment of section 15 of U.P. Act no. 33 of 1961

2. In section 15 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(a) in sub-section (11), *for* the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (13), *for* the words "one year", the words "two years" shall be *substituted.*

Amendment of section 28

3. In section 28 of the principal Act,-

(a) in sub-section (11), *for* the words "more than half", the words "not less than two-third" shall be *substituted;*

(b) in sub-section (13), *for* the words "one year", the words "two years" shall be *substituted.*

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Sanshodhan) Adhyadesh, 2022 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 8 of 2022

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. 33 of 1961) has been enacted to provide for the establishment of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats in the State of Uttar Pradesh. Sections 15 and 28 of the said Act, deals with the motion of no-confidence in Pramukh of Kshettra Panchayats and Adhyakshya of Zila Panchayats respectively. Sub-section (11) of the said section provides that if the motion of no-confidence is carried with the support of more than half of the total numbers of elected members of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats, as the case may be, then the Pramukh or Adhyakshya, as the case may be, shall cease to hold office as such. Sub-section (13) of the said sections provides that no notice of motion of no-confidence shall be received within one year of assumption of office by the Pramukh or the Adhyaksha, as the case may be. Due to these provisions there was always a situation of instability in the Kshettra Panchayats and Zila Panchayats . With a view to ensure stability of Kshettra Panchayats and Zila Panchayats it was decided to amend the said Act to Provide that no notice of motion of no-confidence against a Pramukh under section 15 or against an Adhyaksha under section 28, as the case may be, shall be received within two years of the assumption of office by a Pramukh or an Adhyaksha respectively and the Pramukh of Kshettra Panchayats or Adhyaksha of Zila Panchayats shall not cease to hold office unless no-confidence motion is carried with the support of not less than two-thirds of the total number of elected members thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats (Amendment) Ordinance, 2022 (Uttar Pradesh Ordinance no. 8 of 2022) was promulgated by the Governor on October 4, 2022.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH
Mukhya Mantri.

———

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1014 राजपत्र–2022–(1642)–599+5+25=629 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

1014 RPH (Panchayat) (Sansadiya) 2022 Data 7e